

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि0-30.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शकील पुत्र सत्तार बंजारा निवासी ग्राम बाराहार थाना घिरोर जनपद मैनपुरी मु०अ०स० 38A/2014 वाद संख्या०5/2017 धारा- 3(1) उ० प्र० गैरेस्टर अधिनियम थाना को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.07.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल जज गैरेस्टर कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री रैलेश कुमार सिंह



को०मो०हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार का० कृष्णवीर